(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : निगरानी–कटनी/भू0रा0/2018/5673 – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–6–18 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण क्रमांक 1016/2017–18 अपील

1– ग्राम सचिव, मुहॉस,ग्राम पंचायत मुहॉस
व्दारा सुरेश कुमार लोधी पुत्र लल्लूलाल
2– रामनाथ लोधी,ग्राम मुहॉस तहसील रीठी
जिला कटनी , मध्य प्रदेश
3– गजेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह समिति सदस्य
ग्राम पंचायत मुहॉस तहसील रीठी जिला कटनी
4– जानकी प्रसाद पुत्र स्व.श्यामले लोधी
समिति सदस्य ग्राम पंचायत मुहॉस तहसील रीठी जिला कटनी —आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुशील कुमार पुत्र मथुराप्रसाद पटैल
अध्यक्ष लालजी महाराज जनकल्याण समिति
संकटमोचन मंदिर, ग्राम पंचायत मुहॉस तहसील रीठी जिला कटनी
2– अवधेशकुमार पुत्र दिलबहार दुवे प्रधान पुजारी (सचिव)
लालजी महाराज जनकल्याण समिति, संकटमोचन मंदिर,
ग्राम पंचायत मुहॉस तहसील रीठी जिला कटनी
3– सरमनलाल पुत्र अधारीलाल पटैल, पंडा (कोषाध्यक्ष)
लालजी महाराज जनकल्याण समिति, संकटमोचन मंदिर,
ग्राम पंचायत मुहॉस तहसील रीठी जिला कटनी
4– सोनेलाल पटैल पुत्र सुमेरा , उपाध्यक्ष, लालजी महाराज जनकल्याण
समिति, संकटमोचन मंदिर,
ग्राम पंचायत मुहॉस तहसील रीठी जिला कटनी
5– नन्दूराम पुत्र भाईलाल पटैल , सदस्य लालजी महाराज
जनकल्याण समिति, संकटमोचन मंदिर,
ग्राम पंचायत मुहॉस तहसील रीठी जिला कटनी
6– सीताराम पुत्र पुनउराम लोधी सदस्य लालजी महाराज
जनकल्याण समिति, संकटमोचन मंदिर,
ग्राम पंचायत मुहॉस तहसील रीठी जिला कटनी —— अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री शाहनवाज खान)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के.के.वर्मा.)

आ दे श

(आज दिनांक 18 -- 12 --2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 1016/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–6–18 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर जिला कटनी को इस विषय वावत् शिकायत प्रस्तुत की गई :–

- प्रसिद्व सार्वजनिक श्री हनुमान जी महाराज जी मंदिर मुहॉस (रीठी) में अनावेदक व्दारा किये जा रहे अनुचित कारनामे एंव स्थल में व्याप्त अनिमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत एंव गंभीरता से जांच किये जाने वावत् *

शिकायती आवेदन कलेक्टर कार्यालय जिला कटनी व्दारा पत्र दिनांक 2–4–13 से अनुविभागीय अधिकारी कटनी को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया, जिस पर से तहसीलदार तहसील रीठी ने जांच कर प्रतिवेदन दिनॉक 11–5–15 अनुविभागीय अधिकारी कटनी को प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी कटनी ने तहसीलदार के प्रतिवेदन पर से प्रतिवेदन दिनांक 11–8–15 कलेक्टर कटनी को प्रेषित किया। कलेक्टर कटनी व्दारा प्र.क. 7 बी–121/15–16 में आदेश दिनांक 15–10–15 देते हुये अनुविभागीय अधिकारी को विधिक प्रावधानों के तहत अपने स्तर पर प्रकरण का निराकरण करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी कटनी ने प्रकरण कमांक 10753 बी 121/14–15 में दिये आदेश दिनांक 23–11–15 से तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 11–5–15 का अनुमोदन करते हुये तद्नुसार कार्यवाही के प्रकरण वापिस कर दिया।

अनुविभागीय अधिकारी कटनी के प्रकरण कमांक 10753 बी–121/14–15 में तहसीलदार रीठी को दिये गये आदेश दिनांक 23–11–15 के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर, कटनी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर, कटनी ने प्रकरण कमांक 9/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–3–18 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी कटनी को आदेश दिये कि वह अपीलार्थी को आहुत कर नियमानुसार ट्रस्ट गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराकर श्री हनुमान जी महाराज जी मंदिर मुहॉस (रीठी) में स्थित मंदिर के संचालन हेतु ट्रस्ट का गठन कराना सुनिश्चित करें। अपर कलेक्टर, कटनी के आदेश दिनांक 31–3–18 के विरूद्ध अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 1016/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–6–18 से अपील खारिज कर दी। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,

जबलपुर के आदेश दिनांक 22–6–18 से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि सार्वजनिक श्री हनुमान जी महाराज जी मंदिर मुहॉस (रीठी) अपीलार्थी कमांक–4 जानकी प्रसाद पटैल के निजी स्वामित्व की भूमि पर स्थित है जिसका खसरा कमांक 825 रकबा 0.020 आरे है। अपीलार्थी क–4 स्वयं् मंदिर के धार्मिक कियकलापों में सहयोग प्रदान करता है, जबकि उत्तरवादीगण भूमि व मंदिर का अवैधानिक प्रयोग करके मंदिर की आय निजी उपयोग में ले लेते हैं। मंदिर कलेक्टर कटनी के नाम राजस्व अभिलेखों में बतोर प्रबंधक दर्ज है। पूर्व में मंदिर पर एक कमेटी गठित हुई थी, जिसका बैंक एकाउन्ट है एंव मंदिर की आय का लेखा–जोखा रखा जाता है जिसके कारण अनावेदकगण को आर्थिक लाभ होना बंद हो गया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी कटनी के आदेश दिनांक 23–11–15 के विरूद्व अपर कलेक्टर को अपील कर दी गई एंव अपर कलेक्टर ने बिना सोचे समझे मानमाने तौर पर आदेश दिनांक 31–3–18 पारित किया गया है इसी प्रकार अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश का परीक्षण किये बिना अपील निरस्त करने में त्रृटि की गई है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जावे।

अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस में बताया गया है कि श्री हनुमान जी महाराज जी मंदिर मुहॉस (रीठी) के रख–रखाव के लिये एक रजिस्टर्ड समिति गठित है एंव उसका पंजीयन असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एंव सोसायटी जबलपुर में है। समिति मंदिर की व्यवस्था एंव जन कल्याण के लिये उत्तरदायी है। मंदिर पर पण्डे नियुक्त है जो 25 वर्षो से सेवायें दे रहे हैं तथा पंडाजी व्दारा मरीजों को आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है। हलका पटवारी के व्दारा अपनी स्वयं् की राय से उत्तरवादियों को सूचना दिये वगैर वर्तमान समिति जो मंदिर में कार्य कर रही थी , अपना प्रतिवेदन तहसीलदार रीठी को प्रस्तुत कर दिया, जिस पर से तहसीलदार ने प्रतिवेदन तैयार कर एस.डी.ओ. को भेज दिया एंव ने आदेश दिनाक 5–8–15 से प्रकरण निराकृत कर दिया। उन्होंने निगरानी निरस्त कर मंदिर का वित्तीय प्रभार उत्तरवादीगण को दिये जाने के आदेश देने की मांग की।

4/ उभय पक्ष के तर्क / लेखी बहस के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के

अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी कटनी ने प्रकरण कमांक 10753 बी 121/14–15 में आदेश दिनांक 23–11–15 से तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 11–5–15 का अनुमोदन किया है। अपर कलेक्टर कटनी ने अपील आदेश दिनांक 31–3–18 में पृष्ठ 3 से 5 तक विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष दिया है कि तहसीलदार रीठी ने अपने आदेश में ट्रस्ट बनाये जाने का उल्लेख किया है किन्तु ट्रस्ट न बनाकर समिति का गठन किया है जो विधि विरूद्व है जबकि ट्रस्ट का गठन करने के अधिकार सक्षम प्राधिकृत अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी/उपखंड मजिस्ट्रेट को हैं। तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही वास्तविकता पर आधारित न होने के कारण एंव अनुविभागीय अधिकारी कटनी व्दारा प्रकरण कमांक 10753 बी 121/14–15 में आदेश दिनांक 23–11–15 से तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 11–5–15 का अनुमोदन करना त्रृटिपूर्ण प्रकिया पर आधारित पाये जाने से अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 31–3–18 से तहसीलदार का समिति गठन का प्रस्ताव 11–5–15 एंव आदेश दिनांक 27–1–16 निरस्त करते हुये विधि में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप मंदिर (जिसके प्रबंधक कलेक्टर हैं) पर ट्रस्ट गठित करने के निर्देश दिये हैं और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर, कटनी के आदेश दिनांक 31–3–18 से लिये गये निर्णय को विधिवत् पाते हुये अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अपर कलेक्टर, कटनी के आदेश दिनांक 31–3–18 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा आदेश दिनांक 22–6–18 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण निगरानी सारहीन होना परिलक्षित है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 1016/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–6–18 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर